संख्या- 32 /VI-I/2007-2(28)2007

प्रेषक,

सुवर्द्धन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल / अल्मोड़ा / बागेश्वर / पौड़ी
/ चमोली / उत्तरकाशी / रूद्रप्रयाग।

संस्कृति अनुभाग

देहरादून दिनांक : 11 जनवरी, 2008

विषय :-जिला योजना की धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी किए जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य योजना आयोग के शासनादेश संख्या-405/रा0यो0आयोग/जि.यो /2007-08, दिनांक- 13-11-2007 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड के वित्तीय वर्ष 2007-08 के आयोजनागत पक्ष में जिला योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि में रू0 70.00 लाख (रूपये सत्तर लाख मात्र) की धनराशि के सापेक्ष रूपये 41.30 लाख (रू0 इकतालीस लाख तीस हजार मात्र ) की धनराशि निम्नांकित सारिणी एवं शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

| क्र0 सं0 | जनपद | धनराशि लाख रूपये में |
|---|---|---|
| 1. | नैनीताल | .01 |
| 2. | अल्मोड़ा | 30.00 |
| 3. | बागेश्वर | .50 |
| 4. | पौड़ी | 5.69 |
| 5. | चमोली | .10 |
| 6. | उत्तरकाशी | 4.0 |
| 7. | रूद्रप्रयाग | 1.0 |
| | योग | 41.30 |

2. उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबंध के साथ स्वीकृत की जाती है कि उक्त के सम्बंध में राज्य योजना आयोग के शासनादेश सं0-405/रा0यो0आयोग/जि.यो./2007-08, दिनांक- 13-11-2007 में विहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमो या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए।

3. धनराशि उसी मद में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता के सम्बंध में समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजे।

4. धनराशि का एक मुश्त आहरण न करके आवश्यकतानुसार ही आहरित किया जायेगा। आवंटित धनराशि की व्यय की संकलित सूचना अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जायेगी।

5. धनराशि का किसी भी दशा में व्ययवर्तन नही किया जायेगा। धनराशि उसी मद में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता के सम्बंध में समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजे।

6. धनराशि का आहरण परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जाय, किसी भी दशा में धनराशि का आहरण परिव्यय एवं बजट व्यवस्था की सीमा से अधिक नहीं किया जायेगा।

7. इस सम्बंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2007-08 उपर्युक्त अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2205-102 कला एवं संस्कृति का सम्वर्द्धन-10 महान विभूतियों की मूर्तियों की स्थापना-91 जिला योजना-25 लघु निर्माण कार्य के आयोजनागत पक्ष के मानक मद के नाम में डाला जायेगा।

भवदीय,

(सुवर्द्धन)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या- 32 /VI-I/2007, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री-जी के अवलोकनार्थ प्रेषित किये जाने हेतु।
3. निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित किये जाने हेतु।
4. निजी सचिव, सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
7. संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा/बागेश्वर/पौड़ी/चमोली/उत्तरकाशी/रूद्रप्रयाग।
9. वित्त अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
10. एन.आई.सी, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0बल्दिया)
उप सचिव